



e/; i n's k 0; kol kf; d i j h{kk e. My] Hkks i ky

चयन भवन, मेन रोड नं. 1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल – 462011

फोन नं. 0755-2578801, 02, 03, 04 फैक्स : 0755-2550498

ई-मेल : vyapam@mp.nic.in वेबसाईट : www.vyapam.nic.in

लोक शिक्षण संचालनालय के अंतर्गत जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालयों एवं विकास खण्ड स्तरीय मॉडल स्कूलों में कक्षा 9 वी में प्रवेश हेतु संयुक्त चयन परीक्षा – 2015

ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की प्रारम्भ तिथि	04.12.2014
ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की अंतिम तिथि	03.01.2015
आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में सशोधन करने की प्रारम्भ तिथि	04.01.2015
आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में सशोधन करने की अंतिम तिथि	06.01.2015
परीक्षा दिनांक व दिन	25.01.2015 (रविवार)
परीक्षा शुल्क	सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु रु. 60/-
सभी अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के लिये एम.पी. ऑनलाईन का पोर्टल शुल्क रु. 25/- देय होगा।	

I e; I k j . kh

परीक्षा, दिनांक एवं दिन	परीक्षा प्रारम्भ समय	उत्तरशीट्स वितरण समय	उत्तरशीट में आवश्यक जानकारियाँ भरने का समय	प्रश्न-पत्र वितरण समय	प्रश्न-पत्र परीक्षण का समय	उत्तरशीट में उत्तर भरने का समय
25.01.2015 (रविवार)	प्रातः 9:45 बजे से	प्रातः 09:45 बजे से	प्रातः 09:45 से 10:10 बजे तक (10 मिनट)	प्रातः 10:10 बजे	प्रातः 10:10 से 10:15 बजे तक (05 मिनट)	प्रातः 10:15 से 12:15 बजे तक (2:00 घंटे)

fVli . kh %

- परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारम्भ होने के समय से 15 मिनट पश्चात तक ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी। इसके पश्चात् परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
- परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष छोड़ने के पूर्व ओ.एम.आर. उत्तरशीट वीक्षक को अनिवार्य रूप से सौंपना होगा।
- परीक्षा कक्ष में मोबाईल फोन, केलकुलेटर, लॉग टेबल्स, नकल पर्चा एवं व्हाईटनर आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है।
- ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक के द्वारा ही लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र मंडल की वेबसाईट (आनलाईन) पर प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदन-पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त/ जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।
- परीक्षा केन्द्र पर आवेदक को काला बाल प्वाइंट पेन, परीक्षा हाल में प्रवेश हेतु उम्मीदवारों को मंडल की वेबसाईट से डाउनलोड किये गये प्रवेश-पत्र के साथ साथ आवेदक को काला बाल प्वाइंट पेन, फोटोयुक्त पहचान पत्र जैसे:- आधार कार्ड, फोटोयुक्त पहचान पत्र, पासपोर्ट, अभ्यर्थी जिस विद्यालय में अध्ययनरत है उस विद्यालय के प्राचार्य/प्रधान अध्यापक से अभ्यर्थी का फोटोयुक्त पहचान पत्र सत्यापित किया गया में से कोई एक लाना अनिवार्य होगा। अन्यथा अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उसे परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।

लोक शिक्षण संचालनालय के अंतर्गत जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालयो एवं विकास खण्ड स्तरीय
मॉडल स्कूलो में कक्षा 9 वी में प्रवेश हेतु संयुक्त चयन परीक्षा – 2015

fo"k; I ph

Øa	fooj .k	i "B Øa
1.	v/; k; &1 & मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल के परीक्षा संचालन नियम एवं निर्देश	03-10
2.	v/; k; &2 – लोक शिक्षण संचालनालय के नियम एवं निर्देश	11-18
3.	v/; k; &3 – विस्तृत पाठ्यक्रम	19

v/; k; &1
e/; i n's k 0; kol kf; d i jh{kk e. My] Hkksi ky
i jh{kk l pkyu fu; e , oa fun' k

egRo i w k z %&

1-1 इस परीक्षा हेतु केवल ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त किए जायेंगे, जिसमें से आवेदक द्वारा अपनी शैक्षणिक व अन्य अर्हता को ध्यान में रखते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

1-2 ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन चयन के समय संबंधित विभाग/संस्था या भर्ती परीक्षा में संबंधित विभाग द्वारा नियुक्ति/प्रवेश पत्र प्रदान करने के पूर्व किया जायेगा। अतः बाद में यदि यह पता चलता है कि आवेदक द्वारा गलत अथवा असत्य जानकारी अथवा किसी जानकारी को छुपाया है ऐसी स्थिति में किसी भी समय पर संस्था प्रमुख/संबंधित विभाग/म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा परीक्षा में प्रवेश/चयन/नियुक्ति निरस्त किया जा सकेगा।

1-3 vkWuykbL vkonu&i = Hkj us dh 0; oLFkk %&

- (1) www.mponline.gov.in के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है।
- (2) ऑनलाईन आवेदन-पत्र एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत पोर्टल को नकद निर्धारित शुल्क लोक शिक्षण संचालनालय के अंतर्गत जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालयों एवं विकास खण्ड स्तरीय मॉडल स्कूलों में कक्षा 9 वी में प्रवेश हेतु चयन परीक्षा – 2015 हेतु सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों को राशि रुपये 60/- का भुगतान कर भरा जा सकता है।
- (3) इसके अतिरिक्त स्वयं के स्तर से भी उपरोक्त उल्लेखित बेवसाईट्स से डेबिट (कोई भी वीजा/मास्टर/मेईस्ट्रो कार्ड)/क्रेडिट कार्ड (कोई भी वीजा/ मेईस्ट्रो कार्ड) या नेट बैंकिंग के माध्यम से निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान कर ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है।
- (4) उपरोक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने वाले समस्त अभ्यर्थियों द्वारा रु. 25/- पेटलशुल्क देय होगा।
- (5) शुल्क भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ऑनलाईन आवेदन-पत्र की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें, ताकि उसमें उल्लेखित आवेदन-पत्र क्रमांक का उपयोग कर मंडल की वेबसाईट के माध्यम से प्रवेश-पत्र प्राप्त किया जा सके।

1-4 vkWuykbL vkonu&i = ds l kf l ayXu fd; s tkus okys nLrkostk d k fooj .k %&

ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य रूप से स्कैन कराकर संलग्न करने होंगे। इनके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा।

ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ अभ्यर्थी का फोटो एवं हस्ताक्षर इमेज का मानक (Image size Min 30KB, Max 200KB, Height Min 200px, Max 300px, width Min 120px, Max 200px, DPI Min100, Max 300) अनुसार स्कैन कराकर संलग्न करने होंगे। जिसमें फोटो ऊपरी भाग में तथा हस्ताक्षर नीचे के भाग में होंगे।

1-5 , d l s vf/kd vkWuykbL vkonu&i = Hkj us l x'kh fun' k %&

ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की निर्धारित अवधि में किसी कारणवश यदि आवेदक एक से अधिक अर्थात् डुप्लीकेट ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरता है, तो उसे पूर्व में भरे गए आवेदन-पत्र की जानकारी यथा नाम, पिता/पति का नाम, माता का नाम जन्मतिथि, लिंग इत्यादि में समानता के आधार पर कम्प्यूटर पर सचेत किया जायेगा कि उक्त जानकारी का पूर्व से ही ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा गया है, क्या उसे निरस्त करना चाहते हैं ? यदि आवेदक द्वारा "हाँ" विकल्प का चयन किया जाता है तब ही उसके द्वारा नवीन आवेदन-पत्र भरा जा सकेगा, अन्यथा पूर्व में भरा गया ऑनलाईन आवेदन-पत्र ही मान्य होगा। विकल्प

“हॉ” का चयन कर नवीन आवेदन भरने की स्थिति में आवेदक के मोबाईल नंबर/ई-मेल आईडी पर एम. पी. ऑनलाईन द्वारा यथा सम्भव पूर्व में भरा गया आवेदन निरस्त होने की जानकारी भेजी जाएगी तथा नवीन आवेदन-पत्र की हार्डकॉपी में भी पूर्व में भरा गया आवेदन पत्र निरस्त होने की जानकारी दी जायेगी। ऐसी स्थिति में पूर्व में भरे गए आवेदन का भुगतान किया गया शुल्क राजसात किया जावेगा तथा इसके स्थान पर भरे गए नवीन आवेदन-पत्र के लिए पुनः शुल्क का भुगतान करना होगा।

1-6 वकीलकी वकील की = दस लक्षों/करोड़ों, या लक्षों/करोड़ों के लिए

- (i) ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ अभ्यर्थी को फोटो एवं हस्ताक्षर इमेज का मानक (Image size Min 30KB, Max 200KB, Height Min 200px, Max 300px, width Min 120px, Max 200px, DPI Min100, Max 300) अनुसार स्कैन कराकर संलग्न करने होंगे। जिसमें फोटो ऊपरी भाग में तथा हस्ताक्षर नीचे के भाग में होंगे। फोटोग्राफ अच्छी गुणवत्ता एवं पृष्ठभाग (background) सफेद होना चाहिये। पोलोराइड (Polaroid) फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थी का फोटोग्राफ सामने से खिंचा हुआ होना चाहिए। जिसमें अभ्यर्थी के दोनों कान भी स्पष्ट दिखाई दें। उपरोक्त मापदंड के फोटोग्राफ संलग्न नहीं किये जाने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।
- (ii) फोटोग्राफ वकील की वकील की से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये तथा करीब 2 से 3 सेमी की लंबाई की होना चाहिये तथा करीब 2 से 3 सेमी की चौड़ाई की होना चाहिये।
- (iii) यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है, तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा। काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटोग्राफ मान्य नहीं किया जायेगा।
- (iv) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया फोटो ही प्रवेश प्रक्रिया में उपयोग में लाया जायेगा। अतः ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न फोटोग्राफ की कम से कम 5 प्रतियाँ सुरक्षित रखा जाना होगा।
- (v) ऑनलाईन आवेदन पत्र में हस्ताक्षर निर्धारित जगह पर फोटो के नीचे पूर्णतः स्पष्ट रूप से किये जाने होंगे। लघु अंग्रेजी के केपीटल अक्षरों में अथवा एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे।
- (vi) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ दिए गए हस्ताक्षर के समान ही हस्ताक्षर प्रवेश के समय मान्य होंगे।

1-7 वकीलकी वकील की दस लक्षों/करोड़ों के लिए

- 1-7-1 ऑनलाईन आवेदन दिनांक 04.12.2014. से दिनांक 03.01.2015 की रात्रि 12.00 बजे तक ऑनलाईन भरे जा सकते हैं। वकील की वकील की दस लक्षों/करोड़ों की लंबाई की होना चाहिये तथा करीब 2 से 3 सेमी की चौड़ाई की होना चाहिये।
- 1-7-2 ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी जाने वाली समस्त जानकारियों की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।
- 1-7-3 ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने हेतु दो विकल्प हैं :-
 - (अ) इंटरनेट केफे अथवा
 - (ब) स्वयं के कम्प्यूटर द्वारा

bà/juŝ/ ds ek/; e l s vkuŝykbù vkonu Qkeŝ Hkj us dh fof/k %

1-7-3-1 आवेदक www.mponline.gov.in वेबसाईट के माध्यम से होम पेज पर उपलब्ध **Citizen Services** (नागरिक सेवाएं) के अंतर्गत **Application** बिलक कर **Vyapam** लिंक के अंतर्गत लोक शिक्षण संचालनालय के अंतर्गत जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालयों एवं विकास खण्ड स्तरीय मॉडल स्कूलों में कक्षा 9 वीं में प्रवेश हेतु चयन परीक्षा – 2015 परीक्षा से संबंधित में ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने संबंधी **funŝk@Instructions** तथा परीक्षा **fu;e@Examination Rules** उपलब्ध होंगे। निर्देशों एवं नियमों का भलीभांति अध्ययन करने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने हेतु **Continue** बटन को बिलक करें।

1-7-3-2 ऑनलाईन आवेदन-पत्र में चाही गई समस्त जानकारियों को सही-सही भरना अनिवार्य है तथा किसी भी जानकारी के रिक्त रहने की स्थिति में ऑनलाईन आवेदन-पत्र जमा नहीं किया जा सकेगा। ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ फोटो तथा हस्ताक्षर कर उसे स्कैन कर **jpg** फॉर्मेट में ही कम्प्यूटर में सेव करें व इसे **Browse** बटन के माध्यम से सेव किए गए इमेज को ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न (Attach) करें।

1-7-3-3 ऑनलाईन आवेदन-पत्र को **Submit** करने के पूर्व पुनः पढ़कर सुनिश्चित करें कि आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी सही है अथवा नहीं। यदि किसी प्रकार की कोई गलती हो तो उसे ठीक करने के पश्चात् ही **Submit** बटन का उपयोग कर आवेदन-पत्र को जमा करें। आवेदन पत्र जमा होने पर आवेदन-पत्र क्रमांक दर्शाया जायेगा तथा पोर्टल शुल्क के भुगतान हेतु **proceed to payment** बटन का उपयोग किया जाना होगा, जिसके अंतर्गत दो विकल्प उपलब्ध होंगे :-

- क्रेडिट/डेबिट कार्ड।
- इंटरनेट बैंकिंग।

1-7-3-4 ØfMV@MfcV dkMZ ds ek/; e l s ijh{kk 'kŝd dk Hkŝrku%&

आवेदन-पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है। क्रेडिट/डेबिट कार्ड विकल्प का चयन करने पर निर्धारित बैंकों का भुगतान हेतु पेमेन्ट गेटवे उपलब्ध होगा, जिसमें क्रेडिट/डेबिट कार्ड का विवरण भर कर पोर्टल शुल्क का भुगतान किया जा सकता है। पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा।

1-7-3-5 bà/juŝ/ cfđx ds ek/; e l s ijh{kk 'kŝd dk Hkŝrku %&

आवेदक के पास इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध होने पर ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान निर्धारित बैंकों की इंटरनेट बैंकिंग से बैंक द्वारा प्रदाय यूजर आई.डी. का उपयोग कर किया जा सकता है। पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा।

1-7-4 , e-i-h- vkuŝykbù fi kŝ/ŝyds ek/; e l s vkonu Qkeŝ Hkj us dh fof/k %&

1-7-4-1 एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत पोर्टलके माध्यम से भी ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है, जिसके लिए चाही गई समस्त जानकारियों व फोटो सहित आवेदक को जाना होगा। कियोस्कधारक द्वारा उपलब्ध कराए गए आवेदन-पत्र के प्रारूप को नियमों के अनुरूप भलीभांति भरकर देना होगा, जिसके आधार

कियोस्कधारक ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा जावेगा। कियोस्कधारक आवेदक का फोटो एवं हस्ताक्षर को स्कैन कर ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ यथास्थान संलग्न करेगा। फार्म भरने के उपरांत आवेदक फार्म में भरी गई समस्त जानकारीयों भलीभांति पढ़कर सही-सही जानकारी भरा होना सुनिश्चित करने पश्चात् ही कियोस्कधारक को पोर्टल शुल्क का भुगतान हेतु सहमति दें तथा नकद राशि का भुगतान कियोस्कधारक को करें। भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्कधारक द्वारा कम्प्यूटराईज्ड आवेदन-पत्र सह रसीद आवेदक को उपलब्ध करायेगा, जिसमें आवेदक का ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई समस्त जानकारी के साथ पोर्टल शुल्क भुगतान की जानकारी उपलब्ध रहेगी, जिसे स्वयं के पास संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकेगा।

1-7-4-2 आवेदक के पास उपरोक्त उल्लेखित क्रेडिट/डेबिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वह ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के उपरांत एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत पोर्टलके माध्यम से ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक उपलब्ध कराकर **Unpaid Application** लिंक के उपयोग से शुल्क का भुगतान कर आवेदन-पत्र जमा कर रसीद एवं ऑनलाईन आवेदन-पत्र की प्रति प्राप्त कर सकता है, जिसे संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकता है।

ukv/%& ऑनलाईन आवेदन-पत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी/समस्या के लिए M.P. OnLine के Helpdesk के दर्शाए गए दूरभाष क्रं. 0755-4019400 पर सम्पर्क किया जाना होगा।

1-8 fu/kkfjr frffk ea tek fd, x, vkWlykbU vkonu i = ea l d kks/ku dh 0; oLFkk %&

ऑनलाईन आवेदन पत्र में आवेदकों द्वारा संशोधन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार बिन्दुओं के आधार पर होगी:-

1-8-1 ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की अंतिम तिथि के पश्चात् अगले दिन से 03 दिवस तक स्वयं आवेदक द्वारा इंटरनेट से अथवा एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत पोर्टलके माध्यम से अपने ऑनलाईन आवेदन-पत्र में संशोधन किया जा सकेगा। यह सुविधा केवल ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की निर्धारित अवधि में परीक्षा शुल्क राशि का भुगतान कर सफलतापूर्वक भरे गए आवेदन-पत्रों के लिए ही उपलब्ध होगी।

1-8-2 संशोधन हेतु निर्धारित 03 दिन की अवधि में आवेदक द्वारा एक या एक से अधिक बार अपने आवेदन-पत्र में संशोधन किया जा सकेगा, जिसके लिए प्रत्येक बार आवेदक को l d kks/ku 'ky/d : -20@&, oa i kV/y 'ky/d : - 10@& का भुगतान एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत पोर्टलया क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करना होगा।

1-8-3 संशोधन के लिए निर्धारित अवधि में स्वयं आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई. डी. नंबर व जन्मतिथि का उपयोग कर अपने ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा तथा ऐसे किसी भी संशोधन के लिए आवेदक की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।

1-8-4 संशोधन के लिए निर्धारित समयावधि के पश्चात् किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा व किसी भी आवेदन पर मण्डल द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

1-9 vkWlykbU vkonu&i = dk fujLrhdj.k %&

एम0पी0 ऑनलाईन से डेटा प्राप्त होने के उपरान्त नियम पुस्तिका में उपलब्ध करवाये गये फोटो एवं हस्ताक्षर संबंधी स्पेशिफिकेशन के आधार पर फोटो एवं हस्ताक्षर का परीक्षण मण्डल स्तर पर सुनिश्चित किया जायेगा। इनमें त्रुटि, अस्पष्टता, अनुपलब्धता होने की स्थिति में आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा। इस संबंध में मण्डल द्वारा कोई भी पत्राचार नहीं किया जायेगा तथा समस्त जाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी।

1-10 i jh{kk i Ds k&i = (Test Admit Card) :-

नियमानुसार मान्य ऑनलाईन आवेदन-पत्रों के प्रवेश-पत्र (Test Admit Card-TAC) मण्डल की वेबसाइट www.vyapam.nic.in पर उपलब्ध कराए जायेंगे। मण्डल की वेबसाइट पर जारी किया गया टेस्ट एडमिट कार्ड जारी किया जायेगा, जिसमें आवेदक का नाम, परीक्षा का नाम, रोल नंबर एवं परीक्षा केन्द्र का विवरण इत्यादि समाहित होगा। प्रवेश-पत्र पृथक से डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जायेंगे।

1.10 ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक का प्रयोग कर आवेदक अपना प्रवेश-पत्र मण्डल की वेबसाइट www.vyapam.nic.in से मुद्रित कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। मुद्रित किए हुए प्रवेश-पत्र को सत्यापित करवाने की आवश्यकता नहीं होगी।

1.11 प्रवेश पत्र जारी होने के उपरांत किसी तरह का त्रुटि सुधार नहीं किया जायेगा एवं किसी भी प्रकार की त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर मण्डल ऑनलाईन आवेदन-पत्र को रद्द/निरस्त/ परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

1-11 यह परीक्षा 50 जिला मुख्यालयों (आगरा जिले को शाजापुर जिले में सम्मिलित किया गया है) पर में आयोजित की जायेगी। अभ्यर्थियों की संख्या कम होने पर उसे परिवर्तित/निरस्त करने का अधिकार मण्डल सुरक्षित रखता है। लिखित परीक्षा निर्धारित परीक्षा केन्द्रों में प्रातः 09:45 से दोपहर 12:15 बजे तक आयोजित की जायेगी (जिसमें परीक्षा का समय 10:15 से 12:15 तक दो घंटे का है) परीक्षा केन्द्र की जानकारी प्रवेश-पत्र पर अंकित होगी।

1-12 उक्त परीक्षा में परीक्षा शुल्क अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी/अनुसूचित जाति/जनजाति श्रेणी (मध्यप्रदेश के मूल निवासी) के लिये रु. 60/- निर्धारित है। ऑनलाईन आवेदन-पत्र हेतु पोर्टल शुल्क रु. 25/- अतिरिक्त देय होगा।

1-13 लिखित परीक्षा हाल में प्रवेश हेतु उम्मीदवारों को मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रवेश-पत्र के साथ साथ आवेदक को काला बाल प्वाइंट पेन, फोटोयुक्त पहचान पत्र जैसे:- आधार कार्ड, फोटोयुक्त अंकसूची, पासपोर्ट, अभ्यर्थी जिस विद्यालय में अध्ययनरत् है उस विद्यालय के प्राचार्य/प्रधानाध्यापक से अभ्यर्थी का फोटोयुक्त पहचान पत्र सत्यापित किया गया में से कोई एक लाना अनिवार्य होगा। अन्यथा अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उसे परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।

1-14 इस परीक्षा में किसी भी प्रकार के Calculator उपयोग की मनाही है अर्थात् Scientific Calculator, Mobile Phone, Programmable Calculator, Watch Alarms, Listening Devices, Paging Devices (Beepers), Recording Devices, Protectors, Compasses, Scales एवं व्हाईटनर आदि पूर्णतः वर्जित है।

1.15 लिखित परीक्षा का विवरण :-

स.क्रं.	दिनांक	प्रश्न पत्र	अवधि	समय	अधिकतम अंक
1.	25.01.2015 (रविवार)	प्रश्न पत्र	02 घंटे	प्रातः 09:45 से दोपहर 12:15 बजे	100

परीक्षा में हिन्दी/अंग्रजी माध्यम में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, जिनमें प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर/विकल्प दिये रहेंगे। परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उससे संबंधित गोले को ओ0एम0आर0 उत्तरशीट पर काले बॉल प्वाइंट पेन से काला करना होगा।

1.16 अनुचित साधन (Unfair means, UFM) :-

अनुचित साधन (यू.एफ.एम.) :- निम्नलिखित में से कोई भी क्रियाकलाप/गतिविधि परीक्षार्थी द्वारा उपयोग में लाने पर उसे अनुचित साधन (यू.एफ.एम.) के अंतर्गत माना जावेगा :-

- 1/11/1 परीक्षा कक्ष में अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का सम्पर्क।
- 1/12/1 अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना या परीक्षार्थी के स्थान पर अन्य कोई व्यक्ति उपस्थित होना।
- 1/13/1 परीक्षा कक्ष में अपने पास किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री रखना।
- 1/14/1 परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफूसी करना, ईशारे करना व अन्य प्रकार से संपर्क साधना।
- 1/15/1 अन्य परीक्षार्थी की उत्तरशीट या प्रश्नपुस्तिका से अन्य किसी प्रकार से नकल करना।
- 1/16/1 अन्य परीक्षार्थी के साथ उत्तरशीट या प्रश्नपुस्तिका की अदला-बदली करना।
- 1/17/1 प्रतिबंधित सामग्री पाये जाने पर परीक्षार्थी द्वारा उसे सौंपने से इंकार करना या उसे स्वयं नष्ट करना।
- 1/18/1 नकल प्रकण से संबंधित दस्तावेजों/प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने से मना करना।
- 1/19/1 सक्षम अधिकारी के निर्देशों की अवहेलना/अवज्ञा करना या उनके निर्देशों का पालन न करना।
- 1/20/1 सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार उत्तरशीट या अन्य दस्तावेज वापस नहीं करना या वापस करने से मना करना।
- 1/21/1 परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान करना, धमकाना या शारीरिक चोटपहुँचाना। उपरोक्त अनुचित साधनों तथा अभ्यर्थी के किसी अन्य कृत्य को पर्यवेक्षक/केन्द्र अधीक्षक/वीक्षक द्वारा अनुचित साधन की श्रेणी माना जाता है, तो उस पर न्यायिक कार्यवाही की जायेगी। अभ्यर्थी की उत्तरपुस्तिका को अनुचित साधन के अंतर्गत मानते हुए मूल्यांकन नहीं किया जायेगा तथा उसका अभ्यर्थित्व निरस्त कर दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के अनुचित साधन का उपयोग किये जाने पर अभ्यर्थी को पुलिस को आवश्यक कार्यवाही हेतु सौंपा जायेगा और उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य उम्मीदवार के स्थान पर परीक्षा में सम्मिलित होता है तो वह कृत्य पररूपधारण (IMPERSONATION) की श्रेणी में आयेगा। पररूपधारण का कृत्य विधि के अनुसार अपराध है। ऐसे अपराध के लिए आवेदनकर्ता एवं उसके स्थान पर परीक्षा में बैठने वाला व्यक्ति विधि के अनुसार सजा या जुर्माना एवं दोनों से दण्डित किये जा सकेंगे। साथ ही उम्मीदवार का परीक्षा परिणाम भी निरस्त किया जायेगा। विभाग द्वारा दस्तावेजों के परीक्षण/सत्यापन व नियुक्ति के समय कोई आवेदक या उसके दस्तावेज फर्जी या संदिग्ध पाये जाते हैं, तो विभाग द्वारा उक्त अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त करते हुए पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा कर मंडल को अवगत कराया जायेगा, ताकि मंडल स्तर से संबंधित अभ्यर्थी का परीक्षा परिणाम निरस्त किया जा सके।
- 1/22/1 परीक्षार्थियों द्वारा ओ0एम0आर0 उत्तरशीट्स में व्हाईटनर का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। मण्डल कार्यालय को व्हाईटनर लगी ओ0एम0आर0 उत्तरशीट्स प्राप्त होने से इन्हे स्केनर द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है जिससे तकनीकी रूप से स्केनरर्स में परेशानी होती है तथा इस प्रकार की कार्यवाही परीक्षा नियमों के भी विपरीत है। अतः व्हाईटनर के प्रयोग वाली ओ0एम0आर0 उत्तर शीटों के ऐसे प्रकरणों को यू0एफ0एम0 समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाकर परीक्षण उपरांत यू0एफ0एम0 मान्य करते हुए ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता मण्डल स्तर से समाप्त की जावेगी।
- 1/23/1 परीक्षा के पूर्व/दौरान/पश्चात परीक्षा प्रक्रिया में अथवा परीक्षा के डाटा में किसी भी स्तर पर छेड़छाड़ या किसी भी व्यक्ति से मिलकर परीक्षा की प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हुए अनुचित लाभ प्राप्त किये जाने का प्रयास परिलक्षित होने पर अथवा अभ्यर्थियों का वह कृत्य जिससे परीक्षा की अनुल्लंघनियता (Sanctity) प्रभावित होती हो, परीक्षण उपरांत यू0एफ0एम0 प्रकरण मान्य करते हुए संबंधित अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता समाप्त की जावेगी।
- 1/24/1 परीक्षार्थियों के विरुद्ध परीक्षा के पूर्व/दौरान/पश्चात परीक्षा संबंधी प्रकरण दर्ज किये जाने अथवा परीक्षा संबंधी आपराधिक प्रकरणों में संलिप्तता पाये जाने पर परीक्षण उपरांत यू0एफ0एम0 प्रकरण मान्य करते हुए संबंधित अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता समाप्त की जावेगी।

1.17 मूल्यांकन पद्धति :-

वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जायेगा। गलत उत्तर अंकित करने या एक से अधिक उत्तर (Multiple marking) अंकित करने एवं प्रश्नों के उत्तर अंकित न करने के फलस्वरूप शून्य (Zero) अंक प्रदाय किया जायेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जावेगा।

नोट :- सभी गणना को दो दशमलव तक राउंडऑफ किया जायेगा।

1-18 ijh{kk ifj.kke dk izdk'ku %&

परीक्षा परिणाम मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर उपलब्ध कराया जावेगा।

1-19 vad l iph %&

इस चयन परीक्षा के सभी चरणों के सम्पन्न होने के बाद तथा परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित होने के उपरांत अभ्यर्थियों की अंकसूची मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर अपलोड की जा सकेगी। तदनुसार अभ्यर्थी वेबसाईट से डाउनलोड कर अंकसूची प्राप्त कर सकते हैं। डाक से अंकसूची का प्रेषण नहीं किया जायेगा।

1-20 fyf[kr ijh{kk eafu%kDr tu vH; fFk; ka ds fy, mi yC/k l fo/kk, W %&

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रं. एफ-8-2/05/आ.प्र./एक, दिनांक 08.09.2011 के आधार पर लिखित परीक्षा में निःशक्तजन के लिए निम्नानुसार सुविधाएँ प्रदान की जायेगी :-

1/2 ; g l fo/kk fuEufyf[kr vH; fFk; ka dks inku dh tkoxh %&

1. दृष्टिबाधित, ऊपरी हिस्से में (हाथ से) निःशक्त तथा सेरिब्रल पल्सी से निःशक्तजन परीक्षार्थी।
2. मानसिक रूप से संस्तभ (स्पैस्टिक) डाइसलेक्सिक और पर्सन्स विद डिसएबिलिटिज एक्ट 1995 में परिभाषित अशक्तता वाले परीक्षार्थी।
3. ऐसे परीक्षार्थी जो अचानक बीमार हो जाने की स्थिति में जब वह लिखने में असमर्थ हो, इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन रैंक से कम का न हो।
4. दुर्घटना हो जाने पर जब परीक्षार्थी लिखने में असमर्थ हो और इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन से कम रैंक का न हो।

1/2 inku dh tkus okyh l fo/kk, W %&

उपरोक्त से संबंधित अभ्यर्थियों को लेखन लिपिक की सुविधा प्रदान की जावेगी। यदि अभ्यर्थी लेखन लिपिक की सुविधा प्राप्त नहीं करता है, तो उसे निम्नानुसार अतिरिक्त समय की पात्रता होगी :-

- 3 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए 60 मिनट
- 2½ घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए 50 मिनट
- 2 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए 40 मिनट
- 1½ घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए 30 मिनट

1/2 ys[ku fyfi d dh fu; fDr grq 'kr %&

1. लेखन लिपिक एक ऐसा विद्यार्थी होना चाहिए, जो परीक्षार्थी द्वारा दी जा रही परीक्षा से एक निचली कक्षा का होना चाहिए।

2. लेखन लिपिक से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी शपथ-पत्र सहित संबंधित परीक्षा केन्द्र के केन्द्र अधीक्षक को अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाकर परीक्षा दिनांक से एक दिवस पूर्व लिखित अनुमति प्रदान किया जाना अनिवार्य होगी।

1/n½ bl ds vfrfjDr ink; dh tkus okyh l fo/kk, W%&

1. परीक्षार्थी को लेखन लिपिक की सेवाएँ मुफ्त प्रदान की जावेगी, जिसके लिए मण्डल द्वारा कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जावेगा।
2. ऐसे परीक्षार्थी, जिन्हें लेखन सहायक सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, उन्हें एक अलग कक्ष यथासंभव भूतल पर उपयुक्त व्यवस्था की जावेगी।

1-21 e-i z 0; kol kf; d ijh{kk eMy dk dk; L i o s k ijh{kk dk l pkyu , oa ml dk ifj .kke ?kkf"kr djuk ek= gksxk %&

परीक्षा संचालन से संबंधित सभी नीतिगत विषयों का निर्धारण एवं निर्णय लेने का अंतिम अधिकार मण्डल का होगा। मण्डल अपने पास परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं मण्डल द्वारा किया गया कोई भी ऐसा संशोधन बंधनकारी होगा। अंतिम रूप से परीक्षा परिणाम घोषित होने की दिनांक से छः माह पश्चात् परीक्षा से संबंधित अभिलेख नष्ट कर दिए जायेंगे।

1-22 U; kf; d {ks=kf/kdkj %&

परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं के विधि संबंधी किसी भी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकारी (Jurisdiction) मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय तक ही सीमित रहेगा।

---0---

अध्याय-02

लोक शिक्षण संचालनालय के अंतर्गत जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालयो एवं विकास खण्ड स्तरीय मॉडल स्कूलो में कक्षा 9 वी में प्रवेश हेतु चयन परीक्षा – 2015 के प्रवेश नियम

2.1 सामान्य :

ये नियम लोक शिक्षण संचालनालय के अंतर्गत जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालयो एवं विकास खण्ड स्तरीय मॉडल स्कूलो में कक्षा 9 वी में प्रवेश के नियम कहलायेंगे ।

2.2 परिभाषायें :

2.2.1 जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालयों एवं मॉडल स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2015-16 के लिये कक्षा 9 वी में प्रवेश हेतु व्यापम परीक्षा का आयोजन दिनांक 25.01.2015 को किया जाना है। प्रत्येक जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय में कक्षा 9 वी में 240 सीटें एवं मॉडल स्कूल में कक्षा 9 वी में 80 सीटें उपलब्ध है।

2.2.2 विद्यालय चयन हेतु दो विकल्प दिये गये हैं:-

(अ) जिला उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमि विद्यालय

(ब) मॉडल स्कूल

2.3 लागू होना:- ये नियम वर्ष 2015-2016 लोक शिक्षण संचालनालय के अंतर्गत जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालयो एवं विकास खण्ड स्तरीय मॉडल स्कूलो में कक्षा 9 वी में प्रवेश हेतु लागू होंगे।

2.3.1 शैक्षणिक योग्यता:- कक्षा 8 वी परीक्षा उत्तीर्ण/अध्ययनरत हो एवं प्रवेश के समय न्यूनतम सी ग्रेड से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होना चाहियें।

2.4 प्रवेश के लिये उपलब्ध संस्थानों की सूची:- (SOE)

प्रदेश के जिला मुख्यालयों में स्थित उत्कृष्ट विद्यालयों की सूची एवं उपलब्ध सीटो का विवरण निम्नानुसार है:-

सरल क्रमांक	जिला	जिला मुख्यालय पर स्थित उत्कृष्ट विद्यालय का नाम	UR	SC	st	OBC	Total	निःशक्तजन की कुल सीट
			SEAT	SEAT	SEAT	SEAT		
1	अनूपपुर	शास.बा.उमा.उत्कृष्ट वि. अनूपपुर	74	19	113	34	240	14
2	अशोकनगर	शास.बा.उमा.उत्कृष्ट वि.अशोकनगर	134	43	29	34	240	15
3	बडवानी	शा. उ.मा.उत्कृष्ट वि., क्र.1 बडवानी	69	24	113	34	240	14
4	बालाघाट	शा.उत्कृष्ट आ.बहु.उ.मा.वि. बालाघाट	129	22	55	34	240	13
5	बैतूल	शा. उत्कृष्ट बहु. उ.मा.वि., बैतूल	86	26	94	34	240	15
6	भिण्ड	शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि. क. 1 भिण्ड	148	53	5	34	240	14
7	भोपाल	सुभाष उत्कृष्ट उ.मा.वि., शिवाजी नगर, भोपाल	162	34	10	34	240	14
8	बुरहानपुर	सुभाष शास.उत्कृष्ट उ.मा.वि. बुरहानपुर	110	29	67	34	240	15
9	छतरपुर	शा.महाराजा बहु. उत्कृष्ट उ.मा.वि.क 1 छतरपुर	134	58	14	34	240	13
10	छिन्दवाडा	शा. आदर्श बहु. उत्कृष्ट उ.मा.वि. छिन्दवाडा	91	31	84	34	240	14
11	दमोह	शा. आदर्श बहु.उत्कृष्ट उ.मा.वि. दमोह	127	48	31	34	240	15

सरल क्रमांक	जिला	जिला मुख्यालय पर स्थित उत्कृष्ट विद्यालय का नाम	UR	SC	st	OBC	Total	निःशक्तजन की कुल सीट
			SEAT	SEAT	SEAT	SEAT		
12	दतिया	शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि. क. 1 दतिया	141	60	5	34	240	14
13	देवास	नारायण विद्या मंदिर, उत्कृष्ट शा.उ.मा.वि.क 2, देवास	124	46	36	34	240	14
14	अलिराजपुर	शा उत्कृष्ट उ.मा.वि.अलिराजपुर	12	7	209	12	240	13
15	डिण्डोरी	शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि., डिण्डोरी	43	14	149	34	240	14
16	गुना	शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि. क. 1 गुना	134	43	29	34	240	15
17	ग्वालियर	शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि. क. 1 मुरार, ग्वालियर	146	50	10	34	240	14
18	हरदा	शा.उत्कृष्ट बहु.उ.मा.वि. हरदा	122	41	43	34	240	14
19	होशंगाबाद	शा. उत्कृष्ट बहु.उ.मा.वि. होशंगाबाद	122	41	43	34	240	14
20	इंदौर	शा. विनय मंदिर बालक उत्कृष्ट उ.मा.वि. इंदौर	148	41	17	34	240	14
21	जबलपुर	प.लज्जा शंकर झा,शा.मॉडल उत्कृष्ट उ.मा.वि. ,जबलपुर	129	31	46	34	240	14
22	झाबुआ	शा. बालकउत्कृष्ट उ.मा.वि., झाबुआ	12	7	209	12	240	13
23	कटनी	शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि. कटनी कैम्प	129	31	46	34	240	14
24	खंडवा	नागडा शा.बहु.उत्कृष्ट उ.मा.वि., खण्डवा	110	29	67	34	240	15
25	खरगोन	शा. देवी अहिल्या उत्कृष्ट उ.मा.वि. क. 1, खरगौन	69	24	113	34	240	14
26	मंडला	शा.जगन्नाथ बहु.उत्कृष्ट उ.मा.वि. मंडला	43	14	149	34	240	14
27	मंदसौर	शा.बहु. बालक उत्कृष्ट उ.मा.वि. क 1, मंदसौर	154	38	14	34	240	13
28	मुरैना	शा. उत्कृष्ट बहु.उ.मा.वि. क. 1 मुरैना	144	48	14	34	240	14
29	नरसिंहपुर	शा. उत्कृष्ट बहु.उ.मा.वि.नरसिंहपुर	131	41	34	34	240	14
30	नीमच	शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि. क 1 नीमच केन्ट	154	38	14	34	240	13
31	पन्ना	शा.रुद्र प्रताप उत्कृष्ट उ.मा.वि. क. 1 पन्ना	118	50	38	34	240	14
32	रायसेन	शा.बालकउत्कृष्ट उ.मा.वि., रायसेन	129	41	36	34	240	14
33	राजगढ	बालक उत्कृष्ट उ.मा.वि.,क. 1 राजगढ (ब्यावरा)	153	43	10	34	240	14
34	रतलाम	शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. क. 2, रतलाम	114	34	58	34	240	14
35	रीवा	शा. उत्कृष्ट मार्तण्ड उ.मा.वि. क 1 रीवा	139	36	31	34	240	14
36	सागर	शा.बहु.उत्कृष्ट उ.मा.वि. सागर	134	50	22	34	240	14
37	सतना	शा. व्यंकट उत्कृष्ट उ.मा.वि. क. 1 सतना	127	43	36	34	240	15
38	सीहोर	शा.बालक उत्कृष्ट उ.मा.वि., क. 1, सीहोर	130	50	26	34	240	15
39	सिवनी	शा. बहु.उत्कृष्ट उ.मा.वि.सिवनी	89	26	91	34	240	14
40	शहडोल	शा. रघुराज उत्कृष्ट उ.मा.वि. क. 2, शहडोल	74	19	113	34	240	14
41	शाजापुर	उत्कृष्ट उ.मा.वि., क. 1, शाजापुर	144	55	7	34	240	14

सरल क्रमांक	जिला	जिला मुख्यालय पर स्थित उत्कृष्ट विद्यालय का नाम	UR	SC	st	OBC	Total	निःशक्तजन की कुल सीट
			SEAT	SEAT	SEAT	SEAT		
42	श्योपुर	शा.बालक उत्कृष्ट उ.मा.वि. श्योपुर	144	48	14	34	240	14
43	शिवपुरी	शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि. क्र. 1 शिवपुरी	129	48	29	34	240	15
44	सीधी	शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि. क्र. 1 सीधी	103	29	74	34	240	14
45	टीकमगढ़	शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि. क्र. 1 टीकमगढ़	139	55	12	34	240	13
46	उज्जैन	शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि. माधवनगर उज्जैन	139	60	7	34	240	14
47	उमरिया	शा.सज्जन उत्कृष्ट उ.मा.वि. उमरिया	74	19	113	34	240	14
48	विदिशा	शा.बालक उत्कृष्ट उ.मा.वि., विदिशा	144	50	12	34	240	14
49	सिंगरौली	शा उत्कृष्ट उ.मा.वि. बैडन सिंगरौली	103	29	74	34	240	14
50	धार	शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. क्र. 1, धार	59	17	130	34	240	15

नोट:- निःशक्तजनों जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा । यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है।

2.5 प्रवेश के लिये उपलब्ध संस्थानों की सूची:- (SOM)

प्रदेश के जिला मुख्यालयों में स्थित मॉडल स्कूलों की सूची एवं उपलब्ध सीटों का विवरण निम्नानुसार है:-

स. क्रं.	जिला	सरल क्रमांक	विकास खण्ड स्तरीय मॉडल स्कूलों के नाम	UR	SC	ST	OBC	Total	निःशक्तजन की कुल सीट
				SEAT	SEAT	SEAT	SEAT		
1	अनूपपुर	1	मॉडल स्कूल अनूपपुर	25	6	38	11	80	03
		2	मॉडल स्कूल जैतहरी	25	6	38	11	80	03
		3	मॉडल स्कूल कोतमा	25	6	38	11	80	03
		4	मॉडल स्कूल पुष्पराजगढ़	25	6	38	11	80	03
2	अशोकनगर	5	मॉडल स्कूल मुंगावली	45	14	10	11	80	03
		6	मॉडल स्कूल ईशागढ़	45	14	10	11	80	03
		7	मॉडल स्कूल अशोकनगर	45	14	10	11	80	03
		8	मॉडल स्कूल चन्देरी	45	14	10	11	80	03
3	बड़वानी	9	मॉडल स्कूल बड़वानी	23	8	38	11	80	03
		10	मॉडल स्कूल निवाली	23	8	38	11	80	03
		11	मॉडल स्कूल पानसेमल	23	8	38	11	80	03
		12	मॉडल स्कूल पाटी	23	8	38	11	80	03
		13	मॉडल स्कूल राजपुर	23	8	38	11	80	03
		14	मॉडल स्कूल सेन्धवा	23	8	38	11	80	03
4	बालाघाट	15	मॉडल स्कूल बैहर	44	7	18	11	80	04
		16	मॉडल स्कूल बिरसा	44	7	18	11	80	04
5	बैतूल	17	मॉडल स्कूल भीमपुर	29	9	31	11	80	04
		18	मॉडल स्कूल घोड़ाडोंगरी	29	9	31	11	80	04
		19	मॉडल स्कूल शाहपुर	29	9	31	11	80	04
6	भिण्ड	20	मॉडल स्कूल गोहद	49	18	2	11	80	04

स. क्रं.	जिला	सरल क्रमांक	विकास खण्ड स्तरीय मॉडल स्कूलों के नाम	UR	SC	ST	OBC	Total	निःशक्तजन की कुल सीट
				SEAT	SEAT	SEAT	SEAT		
7	भोपाल	21	मॉडल स्कूल बैरसिया	55	11	3	11	80	03
		22	मॉडल स्कूल फंदा	55	11	3	11	80	03
8	बुरहानपुर	23	मॉडल स्कूल फूपनार (बुरहानपुर)	37	10	22	11	80	03
		24	मॉडल स्कूल डेढ़ तलाई (खखनार)	37	10	22	11	80	03
9	छतरपुर	25	मॉडल स्कूल बडामलहरा	45	19	5	11	80	04
		26	मॉडल स्कूल छतरपुर	45	19	5	11	80	04
		27	मॉडल स्कूल लवकुशनगर	45	19	5	11	80	04
		28	मॉडल स्कूल नौगांव	45	19	5	11	80	04
		29	मॉडल स्कूल राजनगर	45	19	5	11	80	04
		30	मॉडल स्कूल गौरीहार	45	19	5	11	80	04
		31	मॉडल स्कूल बिजावर	45	19	5	11	80	04
10	छिन्दवाडा	32	मॉडल स्कूल बक्सवाहा	45	19	5	11	80	04
		33	मॉडल स्कूल तामिया	31	10	28	11	80	04
		34	मॉडल स्कूल अमरवाड़ा	31	10	28	11	80	04
		35	मॉडल स्कूल परासिया	31	10	28	11	80	04
		36	मॉडल स्कूल जामई	31	10	28	11	80	04
11	दमोह	37	मॉडल स्कूल हरई	31	10	28	11	80	04
		38	मॉडल स्कूल बटियागढ़	43	16	10	11	80	03
		39	मॉडल स्कूल दमोह	43	16	10	11	80	03
		40	मॉडल स्कूल हटा	43	16	10	11	80	03
		41	मॉडल स्कूल जबेरा	43	16	10	11	80	03
		42	मॉडल स्कूल पटेरा	43	16	10	11	80	03
		43	मॉडल स्कूल पथरिया	43	16	10	11	80	03
12	देवास	44	मॉडल स्कूल तेन्दूखेड़ा	43	16	10	11	80	03
		45	मॉडल स्कूल बागली	42	15	12	11	80	03
		46	मॉडल स्कूल देवास	42	15	12	11	80	03
		47	मॉडल स्कूल कन्नौद	42	15	12	11	80	03
		48	मॉडल स्कूल खातेगांव	42	15	12	11	80	03
		49	मॉडल स्कूल सोनकच्छ	42	15	12	11	80	03
13	अलीराजपुर	50	मॉडल स्कूल टोंकखुर्द	42	15	12	11	80	03
		51	मॉडल स्कूल अलीराजपुर	4	2	70	4	80	04
		52	मॉडल स्कूल भाबरा	4	2	70	4	80	04
		53	मॉडल स्कूल जोबट	4	2	70	4	80	04
		54	मॉडल स्कूल कदिठबाड़ा	4	2	70	4	80	04
		55	मॉडल स्कूल सोण्डवा	4	2	70	4	80	04
14	डिण्डौरी	56	मॉडल स्कूल उदयगढ़	4	2	70	4	80	04
		57	मॉडल स्कूल अमरपुर	14	5	50	11	80	03
		58	मॉडल स्कूल बजाग	14	5	50	11	80	03
		59	मॉडल स्कूल डिण्डौरी	14	5	50	11	80	03

स. क्र.	जिला	सरल क्रमांक	विकास खण्ड स्तरीय मॉडल स्कूलों के नाम	UR	SC	ST	OBC	Total	नि:शक्तजन की कुल सीट
				SEAT	SEAT	SEAT	SEAT		
		60	मॉडल स्कूल करंजिया	14	5	50	11	80	03
		61	मॉडल स्कूल मेंहदवानी	14	5	50	11	80	03
		62	मॉडल स्कूल समनापुर	14	5	50	11	80	03
		63	मॉडल स्कूल शहपुरा	14	5	50	11	80	03
15	गुना	64	मॉडल स्कूल आरोन	45	14	10	11	80	03
		65	मॉडल स्कूल बमोरी	45	14	10	11	80	03
		66	मॉडल स्कूल चांचोड़ा	45	14	10	11	80	03
		67	मॉडल स्कूल गुना	45	14	10	11	80	03
		68	मॉडल स्कूल राघौगढ़	45	14	10	11	80	03
16	ग्वालियर	69	मॉडल स्कूल डबरा	49	17	3	11	80	04
		70	मॉडल स्कूल मुरार	49	17	3	11	80	04
		71	मॉडल स्कूल भितरवार	49	17	3	11	80	04
		72	मॉडल स्कूल घाटीगांव	49	17	3	11	80	04
17	हरदा	73	मॉडल स्कूल खिरकिया	41	14	14	11	80	02
18	होशंगाबाद	74	मॉडल स्कूल सोहागपुर	41	14	14	11	80	02
		75	मॉडल स्कूल बाबई	41	14	14	11	80	02
		76	मॉडल स्कूल बनखेड़ी	41	14	14	11	80	02
19	इन्दौर	77	मॉडल स्कूल देपालपुर	49	14	6	11	80	03
		78	मॉडल स्कूल इन्दौर	49	14	6	11	80	03
		79	मॉडल स्कूल महुँ	49	14	6	11	80	03
		80	मॉडल स्कूल सावेर	49	14	6	11	80	03
20	जबलपुर	81	मॉडल स्कूल कुण्डम	44	10	15	11	80	03
		82	मॉडल स्कूल शहपुरा	44	10	15	11	80	03
21	झाबुआ	83	मॉडल स्कूल झाबुआ	4	2	70	4	80	04
		84	मॉडल स्कूल मेघनगर	4	2	70	4	80	04
		85	मॉडल स्कूल पेटलावद	4	2	70	4	80	04
		86	मॉडल स्कूल रामा	4	2	70	4	80	04
		87	मॉडल स्कूल रानापुर	4	2	70	4	80	04
		88	मॉडल स्कूल थांदला	4	2	70	4	80	04
22	कटनी	89	मॉडल स्कूल बहोरीबंद	44	10	15	11	80	03
		90	मॉडल स्कूल बड़वारा	44	10	15	11	80	03
		91	मॉडल स्कूल ढीमरखेड़ा	44	10	15	11	80	03
		92	मॉडल स्कूल कटनी	44	10	15	11	80	03
		93	मॉडल स्कूल रीठी	44	10	15	11	80	03
		94	मॉडल स्कूल विजयराघौगढ़	44	10	15	11	80	03
23	खण्डवा	95	मॉडल स्कूल खालवा	37	10	22	11	80	03
		96	मॉडल स्कूल हरसूद	37	10	22	11	80	03
		97	मॉडल स्कूल गुड़ी (पन्धाना)	37	10	22	11	80	03
		98	मॉडल स्कूल बलड़ी (किल्लौद)	37	10	22	11	80	03
24	खरगौन	99	मॉडल स्कूल भगवानपुरा	23	8	38	11	80	03
		100	मॉडल स्कूल झिरन्या	23	8	38	11	80	03

स. क्र.	जिला	सरल क्रमांक	विकास खण्ड स्तरीय मॉडल स्कूलों के नाम	UR	SC	ST	OBC	Total	निःशक्तजन की कुल सीट
				SEAT	SEAT	SEAT	SEAT		
25	मण्डला	101	मॉडल स्कूल बिछिया	14	5	50	11	80	03
		102	मॉडल स्कूल बीजाडांडी	14	5	50	11	80	03
		103	मॉडल स्कूल घुघरी	14	5	50	11	80	03
		104	मॉडल स्कूल मवई	14	5	50	11	80	03
		105	मॉडल स्कूल मोहगांव	14	5	50	11	80	03
		106	मॉडल स्कूल नारायणगंज	14	5	50	11	80	03
		107	मॉडल स्कूल निवास	14	5	50	11	80	03
26	मंदसौर	108	मॉडल स्कूल भानपुरा	51	13	5	11	80	03
		109	मॉडल स्कूल गरोट	51	13	5	11	80	03
27	मुरैना	110	मॉडल स्कूल जौरा	48	16	5	11	80	03
		111	मॉडल स्कूल कैलारस	48	16	5	11	80	03
		112	मॉडल स्कूल मुरैना	48	16	5	11	80	03
		113	मॉडल स्कूल पहाडगंज	48	16	5	11	80	03
		114	मॉडल स्कूल सबलगढ़	48	16	5	11	80	03
28	नीमच	115	मॉडल स्कूल जावद	51	13	5	11	80	03
		116	मॉडल स्कूल मनासा	51	13	5	11	80	03
		117	मॉडल स्कूल नीमच	51	13	5	11	80	03
29	पन्ना	118	मॉडल स्कूल अजयगढ़	39	17	13	11	80	03
		119	मॉडल स्कूल पन्ना	39	17	13	11	80	03
		120	मॉडल स्कूल पवई	39	17	13	11	80	03
30	राजगढ़	121	मॉडल स्कूल ब्यावरा	52	14	3	11	80	03
		122	मॉडल स्कूल खिलचीपुर	52	14	3	11	80	03
		123	मॉडल स्कूल नरसिंहगढ़	52	14	3	11	80	03
		124	मॉडल स्कूल राजगढ़ (खुजनेर)	52	14	3	11	80	03
		125	मॉडल स्कूल सारंगपुर	52	14	3	11	80	03
		126	मॉडल स्कूल जीरापुर	52	14	3	11	80	03
31	रतलाम	127	मॉडल स्कूल बाजना	39	11	19	11	80	03
		128	मॉडल स्कूल सैलाना	39	11	19	11	80	03
32	रीवा	129	मॉडल स्कूल गंगेव	47	12	10	11	80	03
		130	मॉडल स्कूल हनुमना	47	12	10	11	80	03
		131	मॉडल स्कूल जवां (सितलहा)	47	12	10	11	80	03
		132	मॉडल स्कूल मऊगंज	47	12	10	11	80	03
		133	मॉडल स्कूल नईगढ़ी	47	12	10	11	80	03
		134	मॉडल स्कूल त्योंथर	47	12	10	11	80	03
33	सागर	135	मॉडल स्कूल बन्डा	45	17	7	11	80	04
		136	मॉडल स्कूल बीना	45	17	7	11	80	04
		137	मॉडल स्कूल खुरई	45	17	7	11	80	04
		138	मॉडल स्कूल मालथौन	45	17	7	11	80	04
		139	मॉडल स्कूल शाहगढ़	45	17	7	11	80	04

स. क्र.	जिला	सरल क्रमांक	विकास खण्ड स्तरीय मॉडल स्कूलों के नाम	UR	SC	ST	OBC	Total	निःशक्तजन की कुल सीट
				SEAT	SEAT	SEAT	SEAT		
34	सतना	140	मॉडल स्कूल मैहर	43	14	12	11	80	03
		141	मॉडल स्कूल मझगंवा	43	14	12	11	80	03
		142	मॉडल स्कूल रामनगर	43	14	12	11	80	03
		143	मॉडल स्कूल उचेहरा	43	14	12	11	80	03
35	सीहोर	144	मॉडल स्कूल आष्टा	43	17	9	11	80	03
		145	मॉडल स्कूल इछावर	43	17	9	11	80	03
		146	मॉडल स्कूल सीहोर	43	17	9	11	80	03
36	सिवनी	147	मॉडल स्कूल लखनादोन	30	9	30	11	80	04
37	शहडोल	148	मॉडल स्कूल ब्योहारी	25	6	38	11	80	03
		149	मॉडल स्कूल भटिया (बुढार)	25	6	38	11	80	03
		150	मॉडल स्कूल गोहपारु (पाली नं.1)	25	6	38	11	80	03
		151	मॉडल स्कूल जैयसिहनगर	25	6	38	11	80	03
		152	मॉडल स्कूल सोहागपुर	25	6	38	11	80	03
38	शाजापुर	153	मॉडल स्कूल आगर	49	18	2	11	80	04
		154	मॉडल स्कूल बड़ोद	49	18	2	11	80	04
39	श्यापुर	155	मॉडल स्कूल कराहल	48	16	5	11	80	03
		156	मॉडल स्कूल श्यापुर	48	16	5	11	80	03
		157	मॉडल स्कूल विजयपुर	48	16	5	11	80	03
40	शिवपुरी	158	मॉडल स्कूल बदरवास	43	16	10	11	80	03
		159	मॉडल स्कूल करेरा	43	16	10	11	80	03
		160	मॉडल स्कूल खनियाधाना	43	16	10	11	80	03
		161	मॉडल स्कूल कोलारस	43	16	10	11	80	03
		162	मॉडल स्कूल पिछोर	43	16	10	11	80	03
		163	मॉडल स्कूल पोहरी	43	16	10	11	80	03
		164	मॉडल स्कूल शिवपुरी	43	16	10	11	80	03
41	सीधी	165	मॉडल स्कूल कुसमी	34	10	25	11	80	03
		166	मॉडल स्कूल मझौली	34	10	25	11	80	03
		167	मॉडल स्कूल रामपुरनैकिन	34	10	25	11	80	03
		168	मॉडल स्कूल सीधी	34	10	25	11	80	03
		169	मॉडल स्कूल सिहावल	34	10	25	11	80	03
42	टीकमगढ़	170	मॉडल स्कूल बल्देवगढ़	47	18	4	11	80	04
		171	मॉडल स्कूल जतारा	47	18	4	11	80	04
		172	मॉडल स्कूल निवाड़ी	47	18	4	11	80	04
		173	मॉडल स्कूल पलेरा	47	18	4	11	80	04
		174	मॉडल स्कूल पृथ्वीपुर	47	18	4	11	80	04
		175	मॉडल स्कूल टीकमगढ़	47	18	4	11	80	04
43	उज्जैन	176	मॉडल स्कूल घटिया	47	20	2	11	80	04
		177	मॉडल स्कूल खाचरौद	47	20	2	11	80	04
		178	मॉडल स्कूल महिदपुर	47	20	2	11	80	04
		179	मॉडल स्कूल उज्जैन	47	20	2	11	80	04

स. क्र.	जिला	सरल क्रमांक	विकास खण्ड स्तरीय मॉडल स्कूलों के नाम	UR	SC	ST	OBC	Total	निःशक्तजन की कुल सीट
				SEAT	SEAT	SEAT	SEAT		
44	उमरिया	180	मॉडल स्कूल गोहपारु (पाली)	25	6	38	11	80	03
		181	मॉडल स्कूल करकेली	25	6	38	11	80	03
45	विदिशा	182	मॉडल स्कूल बासौदा	48	17	4	11	80	04
		183	मॉडल स्कूल नटेरन	48	17	4	11	80	04
		184	मॉडल स्कूल सिरौंज	48	17	4	11	80	04
		185	मॉडल स्कूल लटेरी	48	17	4	11	80	04
46	सिंगरौली	186	मॉडल स्कूल चितरंगी	34	10	25	11	80	03
		187	मॉडल स्कूल देवसर	34	10	25	11	80	03
		188	मॉडल स्कूल बैढन	34	10	25	11	80	03
47	धार	189	मॉडल स्कूल बदनावर	20	6	43	11	80	04
		190	मॉडल स्कूल बाग	20	6	43	11	80	04
		191	मॉडल स्कूल डही	20	6	43	11	80	04
		192	मॉडल स्कूल धार	20	6	43	11	80	04
		193	मॉडल स्कूल धरमपुरी	20	6	43	11	80	04
		194	मॉडल स्कूल गंधवानी	20	6	43	11	80	04
		195	मॉडल स्कूल कुक्षी	20	6	43	11	80	04
		196	मॉडल स्कूल मनावर	20	6	43	11	80	04
		197	मॉडल स्कूल नालछा	20	6	43	11	80	04
		198	मॉडल स्कूल निसरपुर	20	6	43	11	80	04
		199	मॉडल स्कूल सरदारपुर	20	6	43	11	80	04
		200	मॉडल स्कूल तिरला	20	6	43	11	80	04
		201	मॉडल स्कूल उमरबान	20	6	43	11	80	04

नोट:-

1. मध्यप्रदेश के 03 जिले रायसेन, दतिया, नरसिंहपुर में मॉडल स्कूल नहीं है। अतः 47 जिलों की जानकारी प्रेषित है।
2. निःशक्तजनों जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है।

2.6 आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में प्रदान की जाने वाली जानकारी निम्नानुसार है:-

1. आवेदक का नाम
2. आवेदक का उपनाम
3. आवेदक के पिता का नाम
4. आवेदक के माता का नाम
5. जन्मतिथि
6. लिंग, पुरुष/महिला
7. क्या आप मध्यप्रदेश के मूल निवासी है।
8. क्या आप मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी है।
9. आवेदक की श्रेणी, अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग
10. विकलांगता का प्रकार :- श्रवण बाधित/अस्थि बाधित/दृष्टि बाधित
11. परीक्षा शहर जहा से लिखित परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते है।
12. अन्य विवरण

2-7 fu% kDr tuka ds fy; s vkj f{kr i nka dh i fr} &

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-8-2/2013/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 30.06.2014 के अनुसार निःशक्तजनों के लिए 06 प्रतिशत हॉरिजेण्टल आरक्षण दिया गया है और उसमें भी अस्थि बाधित, दृष्टि बाधित एवं श्रवण बाधित के लिए 02-02 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 31 मार्च, 2005 जारी करते हुए पूर्व में आरक्षित किए गए रोस्टर के बिन्दुओं को निरस्त करते हुए तीन खण्ड बनाये गये हैं। अतः निःशक्तजनों के जो भी पद विज्ञापित किए गए वह वर्गवार न होकर निःशक्तजनों की श्रेणीवार (अस्थिबाधित/श्रवणबाधित/दृष्टिबाधित) हो। इस प्रक्रिया में जिस वर्ग के उम्मीदवार चयनित होंगे, उन्हें रोस्टर में संबंधित वर्ग के रिक्त बिन्दुओं पर अंकित किया जाएगा। हॉरिजेण्टल आरक्षण में वर्गवार प्रतिनिधित्व देना आवश्यक नहीं है, किन्तु वर्टीकल आरक्षण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को बनाये रखना आवश्यक है। इसमें कोई भी आरक्षित वर्ग के पद को किसी अन्य श्रेणी से भरने की अनुमति नहीं है।

2.8 परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के प्रवेश हेतु प्रवेश प्रक्रिया लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार संपादित की जावेगी।

अध्याय-03

पाठ्यक्रम

सं. क्र. = & 100 अंकों का

स. क्र.	विषय	प्रश्न	अंक
1.	सामान्य ज्ञान	15	15
2.	पर्यावरण	15	15
3.	हिन्दी	15	15
4.	अंग्रेजी	15	15
5.	विज्ञान	20	20
6.	गणित	20	20
कुल			100

नोट :- प्रश्न पत्र 100 अंकों का होगा तथा दो घंटे का रहेगा। इस प्रश्न-पत्र में राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रम के अनुसार 8 वीं स्तर के प्रश्न रहेगा।

पाठ्यक्रम का विवरण

- सामान्य ज्ञान:- समसामयिक सामान्य जानकारी, खेल-कूद, पुरस्कार, मध्यप्रदेश की सामान्य जानकारी, कला एवं संस्कृति, लोक साहित्य एवं जन जातियाँ
- पर्यावरण:- पर्यावरण से आशय, पर्यावरण प्रदूषण के कारण, दुष्परिणाम, जनसंख्या वृद्धि के कारण एवं प्रभाव, औद्योगिक अपशिष्टों का प्रबंधन एवं विधियाँ।
- हिन्दी:- हिन्दी भाषा की सामान्य जानकारी, शब्दकोष, शब्द विलोम, मुहाँवरे एवं लोकोक्तियाँ, व्याकरण, वाक्य रचना पर्यायवाची शब्द इत्यादि।
- अंग्रेजी :- अंग्रेजी भाषा की सामान्य जानकारी, शब्दकोष, शब्द विलोम, व्याकरण, वाक्य रचना, एक वचन एवं बहुवचन, पार्ट आफ स्पीच इत्यादि।
- विज्ञान :- ब्रह्मांड, वायुमंडल, परमाणु की संरचना, पदार्थों का रूपान्तरण, धातु एवं अधातु, कार्बन, प्रकाश, विद्युत धारा तथा चुम्बकत्व, ऊर्जा के सामान्य स्रोत, कोशिका, सूक्ष्म जीव और सामान्य रोग।
- गणित :- वर्ग एवं वर्गमूल, घन एवं घनमूल, परिमेय घातांक, लाभ हानि तथा बट्टा, चक्रवृद्धि ब्याज, सामान्य बैंक सुविधायें, बीजीये सर्वसमिकायें, एक चर वाले समीकरण, समानान्तर रेखायें, वृत्त, चतुर्भुज एवं चतुर्भुज की रचना।

।gefr iøk.k&i =

मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा लोक शिक्षण संचालनालय के अंतर्गत जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालयो एवं विकास खण्ड स्तरीय मॉडल स्कूलो में कक्षा 9 वी में प्रवेश हेतु संयुक्त चयन परीक्षा – 2015 के लिए तैयार की गई नियमपुस्तिका में उल्लेखित समस्त नियम व जानकारी की पुष्टि व सहमति प्रदान की जाती है तथा अध्याय-1 से 5 तक में दी गई समस्त जानकारी के संबंध में किसी भी विवाद आदि के लिए यह विभाग जवाबदेह होगा। तैयार नियमपुस्तिका के अनुसार परीक्षा आयोजन में विभाग को कोई आपत्ति नहीं है तथा परीक्षा आयोजन के संबंध में विभाग अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा।

तदनुसार यह सहमति प्रमाण-पत्र सत्यापित/हस्ताक्षरित कर प्रदान किया जाता है।

भोपाल, दिनांक :

सत्यापनकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर
 नाम :.....
 पदनाम :.....
 सील :.....
